



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट ए क्रमांक 294/ 2026

मोहम्मद अहमद मोहम्मद अहमद

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(यों))

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता	: सगीर अहमद
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सगीर अहमद और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार की बात सुनी।
- याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह सेना से सेवानिवृत्त सैनिक है। वह उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा दिनांक 17.06.2025 को पारित आदेश के अनुसार, जिला पीलीभीत के बरखेड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षा गार्ड के पद पर नियुक्ति का दावा करता है।
- श्री मनीष कुमार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के अनुसार निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय तीसरे प्रतिवादी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला बरेली द्वारा किया जाएगा।
- उपरोक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को **खारिज** करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह **27.02.2026** तक तीसरे प्रतिवादी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला बरेली के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, द्वितीय प्रतिवादी दो माह की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 16, 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”